**प्राथमिकता - x**

**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. \*115**

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पाकिस्तानी आतंकवादियों को चीन द्वारा समर्थन दिया जाना**

**\*115. श्री अनिल देसाई:**

 **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पाकिस्‍तानी आतंकवादी और जमात-उद-दावा (जे यू डी) के प्रमुख हाफिज सईद को चीन द्वारा दिए जा रहे समर्थन का कूटनीतिक रूप से विरोध किया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख) इस संबंध में चीन की क्‍या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एक आतंकवादी को चीन द्वारा समर्थन और संरक्षण दिए जाने की चाल के विरोध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीन की क्‍या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**विदेश मंत्री**

 **(श्रीमती सुषमा स्वराज)**

**(क) से (घ)** विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**“पाकिस्तानी आतंकवादियों को चीन द्वारा समर्थन दिया जाना” विषय पर राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*115 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

कई अवसरों पर भारत ने कुख्यात आतंकवादियों, यथा जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा सरगना जकीउर रहमान लखवी, हिज्बुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैय्यद सलाउद्दीन और जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 1267 (संक्षेप में 1267 प्रतिबंध समिति) के अनुसरण में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के तहत कार्रवाई की माँग की है और चीन से आग्रह किया है कि वह ‘आतंकवाद संबंधी शून्य सहिष्णुता’ की अपनी घोषित नीति और आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत के साथ अपने सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की अपनी इच्छा का अनुसरण करते हुए भारत का समर्थन करे। तथापि, चीन ने भारत के अनुरोध को नहीं माना है और इसे तकनीकी रूप से स्थगित रखा है और 1267 प्रतिबंध समिति की कार्रवाई को रोक रखा है।

 सरकार ने चीन के साथ सर्वोच्च स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है और यह उल्लेख किया है कि 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत इस प्रकार के कुख्यात आतंकवादियों को सूचीबद्ध किए जाने के बारे में चीन का दृष्टिकोण आतंकवाद के संबंध में उसके कथित दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए।

 चीन 1267 प्रतिबंध समिति में लिए गए अपने पक्ष को इस आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराता है कि साक्ष्य के आधार पर समिति के सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं है। सरकार ने इसका खंडन किया है और वह मानती है कि समिति के समक्ष बड़ी संख्या में साक्ष्य उपलब्ध हैं और इस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय सहमति में इस प्रकार अड़चन पैदा किए जाने से आतंकवाद से मुकाबला करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय समुदाय का संकल्प बेमानी हो जाता है।

 सरकार सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निरंतर उठाती रहती है और वह आतंकवाद के खतरे से निपटने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग पर अत्यधिक बल देती है। सरकार इस मुद्दे पर चीन के साथ भी लगातार बातचीत करती रहती है जिसमें पाकिस्तान से होने वाली सीमा-पार आतंकवादी हरकतों का भारत सहित इस क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाले आसन्न खतरे को निरंतर रेखांकित किया जाता है।

 सरकार ने हमेशा यह कहा है कि वह सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करते हुए आतंकवादी हिंसा को अंजाम देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

\*\*\*\*\*